

प्रति,

दिनांक : 16/04/2016

एग्जीक्यूटिव कमेटी
सिंटा मुंबई.

प्रस्ताव : 1

1 मई 2016 को होने वाली ए.जी.एम. में सिंटा कमेटी द्वारा सिंटा के संविधान में अमेंडमेंट कर क्लॉज 12 के अंतर्गत कमेटी का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 3 साल किये जाने के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का करता हूं।


1. एक साल गुज़र जाने के बाद भी वर्तमान कमेटी ने अपने कार्यकलापों से ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसके आधार पर वो अपना कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दे।
2. इस तरह से करने से एक गलत चलन की शुरुआत होगी।
3. दो साल का कार्यकाल किसी भी कमेटी के लिये अपने सदस्यों की भलाई में काम करने की मंशा दर्शाने के लिये पर्याप्त है। कमेटी दो साल में काम करके दिखाए तथा अगला चुनाव लड़कर फिर दो साल के लिये कमेटी में आए एवं अपने एजेंडे को पूर्ण करे।

प्रस्ताव : 2

पिछली कमेटी द्वारा सिंटा से तानाशाही पूर्वक निष्कासित किये गये सदस्यों श्री आरिफ शेख तथा श्री ब्रिजेश कर्णवाल के निष्कासन रद्द करने का प्रस्ताव बिना शर्त सदन में रखा जाए तथा सदन, बहुमत के आधार इस पर फैसला करे।

इन दोनों प्रस्ताव के विषय में सदन को संबोधित करने के लिये मुझे उचित समय दिया जाए।


प्रस्तावकर्ता


(KUMAR-RAJPOOT)
CIATIAA No. 5314



समर्थनकर्ता

HIMAYAT ALI
5433


16/4/2016
at 2:03 PM